फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

हनुमान वगै0 बनाम कमली वगै0

र्थना पत्र संख्या : 326/2024

म ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0 पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सह खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0600है0 ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि में वर्षो से सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 20 गै0मु0रास्ता से होकर खसरा नम्बर 16 से जो नजरी नक्शें से डोटेड लाईन दर्शित स्थान से होते हुये आ रहे है। प्रार्थीगण सं0 1 व 4 ने अपनी खातेदारी भूमि पुख्ता रहवास बना रखा है जिसमें उक्त रास्ते से अपनी भूमि में कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर इत्यादि लाते है और अपने साधन आते जाते है। उक्त नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते के अलावा और कही भी प्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः खसरा नम्बर 15 में आने– जाने के लिए खसरा नम्बर 16 में से 15 फीट चौडा व 300 फीट लगभग लम्बा रास्ता अंकित राजस्व रिकार्ड में कायम करने के आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थीगण ने अपने बहस में जवाब व प्रा0 एवं विधिक आपत्ति के बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 15 की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 98 में से होकर रास्ता चालु है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 के दक्षिण सीमा पर रास्ता बना हुआ है एवं चालु है। जिससे होकर ही प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार रास्ते अनुसार आवागमन करते है। खसरा नम्बर 98 में से होकर चालु रास्ते से ही खसरा नम्बर 20 का रास्ता खसरा नम्बर 19, 16, 22 के लिए है। जो कि मात्र चरागाह भूमि खसरा नम्बर 37 तक है। इस प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 98 में होकर बने हुए रास्ते से निर्विवाद आवागमन चला आ रहा है। प्रार्थीगण के मौके पर संचालित रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शें एवं मौके पर फोटोज में प्रदर्शित है। ऐसी स्थिति में अपने भूमि की मात्र कीमते बढाने एवं स्वयं की सुविधाएं बढाने के स्वरूप अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 16 में से होकर नवीन रास्ता कायम हेतु मिथ्या कथनों सहित झुठा प्रकरण प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थीगण के खातेदारी में पूर्व से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 98 की भूमि	

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

में से होकर अनुसार रास्ते के उपयोग उपभोग में भूमि चली आ रही है। जिसमें किसी का अतिक्रमण भी नही है। अतः प्रकरण में मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर प्रार्थी अपनी भूमियों की कीमते बढाने हेतु अपनी सुविधा बढाने के लिए नवीन रास्ता नही ले सकता है, चुकि प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 98 की भूमि में होकर आवागमन हेतु रास्ता चालु स्थित है। जिसको जवाब के साथ प्रस्तुत राजस्व नक्शों खसरा नम्बरान अनुसार प्रदर्शित किया हुआ है। तथा मौके की फोटोग्राफ भी प्रस्तुत की हुई है। जो कि प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थीगण के विरूद्व कतई खारिज किया जावें अन्यथा विधिक प्रकिया का दुरूपयोग होगा।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगणों के जवाब मय आपत्ति प्रा0पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पाया कि प्रार्थीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते हेतु संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये डोटेड लाईन से ही रास्ता चाहा है। जो अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 16 को दो भागों में विभाजित करता है। प्रार्थीगणो ने रास्ते हेतु अन्य ओर कोई विकल्प नजरी नक्शें में नही दर्शाया है। खसरा नम्बर 16 को रास्ते हेतु दो भागों में विभाजित करना विधि विरूद्व है। अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत मौके की फोटोग्राफ एवं जवाब में यह पाया कि प्रार्थीगणो को मौके पर अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए मौके पर रास्ता बना हुआ है। जिसमें से अन्य पडौसी काश्तकार भी आवागमन कर रहे है। चुकि प्रार्थीगणों के कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए मौके पर कोई व्यवधान उत्पन्न नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में नया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुना गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner